न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 05/2018 (76 एल .आर. एक्ट)

उनवान

1. उदल पुत्र श्री सांभल
2. सियाराम पुत्र श्री सांभल
3. मोतीराम पुत्र श्री सांभल

जातियान माली निवासीयान नगला सैधली तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

........................अपीलांट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर।

.................................रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 01.12.17 प्र.संख्या 86/2017 उनवानी उदल बनाम सरकार।

उपस्थितिः–

1. श्री अशोक कुमार शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री मोहन सिंह राणा राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक– 26.02.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 01.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार भुसावर ने आराजी खसरा नंबर 499 किस्म चारागाह रकवा 161.14 बीघा भूमि वाके ग्राम सैंधली तहसील भुसावर में से 02 बीघा भूमि पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने, पैनल्टी राशि आरोपित करने एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष की गई। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा उक्त अपील, अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.12.2017 से खारिज कर दी। जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को तलब किये बिना ही अन्तिम बहस करने का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों को पूर्णतः अनदेखी कर पत्रावली पर कोई साक्ष्य चारागाह भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रण किये जाने की नहीं होते हुए भी बिना साक्ष्य व सबूत के निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं है एवं ना ही उनके द्वारा कोई अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भुसावर द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिर्पोट के आधार पर अपीलाण्ट को बिना सुने सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि पटवारी रिपोर्ट में यह भी अंकित नहीं है कि अपीलाण्ट ने विवादित भूमि पर किस दिशा में कितनी लम्बाई चौडाई में अतिक्रमण कर कौनसी फसल बोई गई है। अपीलाण्ट द्वारा चारागाह भूमि पर जब कोई अतिक्रमण ही नहीं किया गया है और ना ही उसका विवादित भूमि पर कोई कब्जा है, तो उसे भौतिक रूप से बेदखल करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अपीलाण्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नही आता है। वक्त बहस अपीलाण्ट द्वारा विवादित भूमि से अतिक्रमण हटा लेने एवं भविष्य में कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा नही करेगा, इस आशय का परिवचन देने का कथन करते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर सिविल जेल की सजा माफ करने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि चारागाह की भूमि है। जिस पर अपीलांट द्वारा अवैधानिक कब्जा किया गया है। अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित नही है कि अपीलाण्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी नही है। अपीलाण्ट ने विवादित भूमि पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया था इस बात की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित होती है। अपीलाण्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में ही आता है एवं ऐसे पश्चात्वर्ती अतिक्रमी के खिलाफ सिविल जेल एवं शास्ति कायम करना उचित ही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जॉच उपरान्त ही निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई कानूनी भूल नही की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

5. हमने अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलाण्ट का प्रस्तुत अपील में प्रमुखता से यह कथन रहा है कि उनका विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। परन्तु वक्त बहस अपीलाण्ट की ओर से स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा विवादित भूमि से अतिक्रमण हटा लिया है एवं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भविष्य में कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में कथित रूप से अतिक्रमण हटा लेने मात्र से, अपीलाण्ट/प्रार्थी दण्ड के दायित्व को नही टाल सकता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भुसावर ने उचित रूप से पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर एक माह की सिविल जेल आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही पाते हैं।

6. वक्त बहस अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपीलाण्ट की ओर से पुनः अतिक्रमण नही करने का परिवचन (UNDERTAKING) देने की तत्परता दर्शाई गई है। चूंकि भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 अन्तर्गत सिविल जेल सजा का उद्देश्य, अतिक्रमी को निरूद्ध कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना ही है, जिसकी पूर्ति अपीलाण्ट की अन्डरटेकिंग से होती है। अतः हम, अपील अल्पांश स्वीकार करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भुसावर को निर्देशित करना चाहेंगें कि यदि मौके के भौतिक सत्यापन पर अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण हटाना पाया जावें एवं अपीलाण्ट भविष्य में अतिक्रमण नही करने का परिवचन दिनांक 09.03.2018 तक उनके समक्ष प्रस्तुत कर देवें, तो तीन माह सिविल जेल की सजा स्थगित रखें। अपीलाण्ट द्वारा पुनः अतिक्रमण करने पर सिविल जेल की सजा के क्रियान्वयन के साथ–साथ भू राजस्व अधिनियम की धारा 91(6) अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही करें।

7. अतः अपील अपीलांट अल्पांश स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

Web Copy - Not Official